संख्या-498/2018/592/22-2-2018-17(157)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 14 जून, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामपाल पुत्र श्री शिवचरन निवासी जनपद-उन्नाव की नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15196/पर-2/सलाहकार समिति/(एम 17.11.2016) दिनांक 17.04.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामपाल पुत्र श्री शिवचरन, जो-ग्राम-मेहरबान खेड़ा मेथीटीकुर,थाना-माखी, जनपद-उन्नाव का रहने वाला है। पूर्व में हुयी हत्याओं को लेकर चली आ रही पारिवारिक रंजिश के कारण बन्दी ने 17 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 11.02.2001 को लगभग 08:00 बजे से 9:00 बजे के मध्य देशी तमन्चा, कुल्हाड़ी व बन्दूक आदि से लैस होकर वादी गुड्डू के पास पहुंचे और हथियारों से हमला कर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं बच्चे को गम्भीर रूप से घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 228/2001 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 307/149, 452, 404 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, ई0सी0एक्ट, उन्नाव के आदेश दिनांक 18.12.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 03.01.2018 तक 16 वर्ष 09 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 01 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में स्पष्ट अभिमत नहीं दिया गया है। सलाहकार समिति की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट,पुलिस अधीक्षक एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की अपील लम्बित होने के कारण समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने आदि के दृष्टिगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामपाल पुत्र श्री शिवचरन को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामपाल (बन्दी संख्या-18354) पुत्र श्री शिवचरन निवासी जनपद-उन्नाव की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-498/2018/592/(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।